B.Ed 1st Year
Session – 2019-2020/2021
Subject – **Contemporary India & Education**
Course – C-2/Unit – 1(d)
Topic - **शिक्षा का अधिकार अधिनियम**-2009
(Right to Edcuation Act-2009)

Dr. Amod Kumar Sinha
Associate Professor
Department of Education
A.N.D. College
Shahpur Patory
Samastipur

Lecture No. - 88

Continued from previous lecture....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की विशेषताएँ
(Characteristics of Right to Education Act-2009

2. **विद्यालय से बाहर के ब्चों के लिए विशेष व्यवस्था** - अध्याय-II की धारा-4 के अनुसार, जिस बच्चे की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक है तथा वे किसी भी विद्यालय में नामांकित नहीं हैं या नामांकित होने के पश्चात् भी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण नहीं किया , ऐसी स्थिति में ब्चे को उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में नामांकित किया जाए।

3. **अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार** - अध्याय-II की धारा -5(1) इस बात की व्यवस्था करता है कि ऐसा विद्यालय जहाँ प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के उचित प्रबंध न होने पर विद्यार्थी को ऐसी स्थिति में यह अधिकार है कि वह अपना स्थानांतरण किसी अन्य विद्यालय में करवा ले।

   धारा 5(3) के के अधीन यदि विद्यार्थी स्थानांतरण पत्र की मांग करता है तो विद्यालय के प्रमुख को उसका स्थानांतरम पत्र तुरंत जारी करना होगा। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में विलंब नामांकन में बाधा नहीं होनी चाहिए। अर्थात्त विद्यार्थी को प्रत्येक स्थिति में नामांकन का अधिकार होगा। इसके अन्तर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि विद्यालय प्रमुख

स्थानांतरण प्रामाण-पत्र जारी करने में देरी करता है तो उसके विरूद्ध सेवा-नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।

4. **विद्यालय स्थापना का उत्तरदायित्व** - अध्याय-III की धारा-6 के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि उन क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय की व्यवस्था नहीं है अधिनियम लागू होने के तीन वर्ष के अंदर ही संबंधित सरकार या स्थानीय अधिकारी विद्यालय की स्थापना के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. **वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्व** - अध्याय-III की धारा-7(1) के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकार इस अधिनियम की पूर्ति के लिए मिलकर फंड की व्यवस्था करेंगी। धारा-7(2) के अनुसार केन्द्र-सरकार इस अधिनियम की व्यवस्था के लिए सारी पूंजी तथा अन्य खर्चों का अनुमान तैयार करेगी। इससे अधिनियम को लागू करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

   धारा-6 (a) (b) (c) के अनुसार केन्द्र-सरकार अकादमिक संस्थाओं के सहयोग से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करवायगी।शिक्षक प्रशिक्षण को भी प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा इसके अतिरिक्त केन्द्र-सरकार राज्य-सरकारों के तकनीकी एवं अन्य स्त्रोतों में भी सहायता करेगी।

To be continued....